



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०- 461-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-8-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 28 मई 2011

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 27.04.2011 को सम्पन्न छियासी (51)/11 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

1. वर्ष 1975-76 एवं 1985 में सीधी भर्ती से विशेष लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर (अधिशाली अभियन्ता पद के समतुल्य वेतनमान में) नियुक्त हुए अधिकारियों को दिनांक 13.11.08 से रु. 18400-22400 (महाप्रबन्धक लेखा पद का वेतनमान) तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धित संगत प्राविधानों के अन्तर्गत तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान में वेतन निर्धारण समान स्तर पर होने की दशा में उसी स्तर पर अन्यथा अगले स्तर पर किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति के पश्चात् कार्यालय ज्ञाप सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4-काविनी/94 दिनांक 14.08.10 सपटित स्पष्टीकरण आदेश सं० 1094-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4-काविनी/94 दिनांक 01.09.2010 में निहित व्यवस्थाएँ प्रभावी करते हुए उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 01.01.96 अथवा 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य कराये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता सम्बन्धी तद्विषयक संगत आदेशों में निहित प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

## निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०- 461(1) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(क्रमशः .....2)

(2)

3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
11. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन - लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
16. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
17. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 27.04.2011 को सम्पन्न छियासी (51/11) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
19. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से



(विनय किशोर श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव